


✓ उप जिला कलक्टर

बामनवास (जिला-सोमाग)

13.2
20

पत्रावली पेय हुई / वकील समय पर उप/सायल
की ओर से बंटवारे का दावा पेय किया गया है
ऐसी स्थिति में सायल / जेरे सायल सह खातेदार
राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है / ऐसी स्थिति में शून्य
दावे के निस्तारण तक समय पर को जारी रखे
निषेधज्ञाप से पावेद किया जाता है कि ग्राम
महाराजगंज के आ.ख.नं 146 रकबा 1.23 हेक्टर
ख.नं 530 रकबा 0.28 हेक्टर के रिपोर्ट एवं मांके
की यथा स्थिति बनाये रखे / पत्रावली केवल शूना
खेतर बाद वकील दफ्तर दाखिल की जावे /

यह निर्णय दिनांक 13.2.20 को सुले न्यायालय
में सुनाया गया /



जिला कलक्टर

बामनवास (जिला-सोमाग)

